भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1304
(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीडीयू-एनआरएलएम के अंतर्गत कवर किए गए लोग

1304. श्री अनन्त नायक:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीडीयूएनआरएलएम) के अंतर्गत आने वाले गरीब लोगों की विभिन्न श्रेणियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार घरेलू सहायकों, निर्माण श्रमिकों और सफाई कर्मचारियों को एनआरएलएम के दायरे में लाकर इसके दायरे का विस्तार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के दूसरे चरण की शुरूआत कर दी है और उन शहरों की पहचान की है जहां इसे शुरू किया जाना है;

(घ) क्या सरकार ने चयनित शहरों में पात्र लाभार्थियों की पहचान कर ली है/उनकी पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार एनआरएलएम के लाभार्थियों को केन्द्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम) के तहत जाति श्रेणी से संबंधित आंकड़े केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के रखे जाते हैं। किसी विशेष जाति श्रेणी के पचास प्रतिशत या उससे अधिक सदस्यों वाले समूहों को उस विशेष श्रेणी के समूह के रूप में चिह्नित किया जाता है। अब तक 10.05 करोड़ परिवारों को 90.87 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जा चुका है। lokos.in पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, 28.11.2024 तक समूहों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:

क्र.स.	**श्रेणी**	**स्वय सहायता समूहों की संख्या**
1.	अनुसूचित जाति	2011504
2.	अनुसूचित जनजाति	1228555
3.	अन्य पिछड़ी जाति	3514738

(ख) डीएवाई-एनआरएलएम के तहत, सभी पात्र ग्रामीण गरीब परिवारों की पहचान की जाती है और उन्हें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया जाता है। पात्र परिवारों में शामिल हैं, एक या अधिक वंचन वाले सभी परिवार, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अनुसार स्वत: शामिल परिवार और 'गरीबों की सहभागितापूर्ण पहचान' (पीआईपी) प्रक्रिया के माध्यम से पहचाने गए और ग्राम सभा द्वारा मान्य किए गए सभी पात्र परिवार एनआरएलएम लक्ष्य समूह बनाता है। एक बार पहचान हो जाने के बाद, सभी पात्र परिवारों को एसएचजी में संगठित किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार ने शहरी गरीबों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग शुरू कर दी है।

(ङ) डीएवाई-एनआरएलएम लाभार्थियों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, उनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार है:

(i) वर्ष 2024-25 के दौरान, 4.93 करोड़ एसएचजी सदस्यों को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत, 6.14 करोड़ को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत नामांकित किया गया है और 7.92 करोड़ लाभार्थियों को प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम जेएवाई) /राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया गया है।

(i i) खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम फॉरमेलाइजेशन (पीएम एफएमई) योजना को खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संबंधित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के माध्यम से इसके सीड कैपिटल घटक के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियाँ करने वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/एसएचजी सदस्यों को एमओएफपीआई द्वारा 40,000/- रुपये तक की राशि प्रदान की जा रही है। 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार 2,51,193 एसएचजी उद्यमियों को 831.27 करोड़ रुपये की सीड कैपिटल की सहायता प्रदान की गई है।

(i i i) डीएवाई-एनआरएलएम, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही परम्परागत कृषि विकास परियोजना (पीकेवीवाई) के साथ भी जुड़ रहा है, जिसका उद्देश्य महिला किसानों को भूमि की तैयारी, तरल जैव-उर्वरकों की आपूर्ति, बीज की तैयारी, जैविक बीजों की खरीद, अजोला पिट्स का निर्माण, तथा रोग और कीट नियंत्रण में सहायता, कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सीएचसी)/टूल बैंकों की स्थापना, मवेशी शेड/मुर्गी शेड/सूअर बाड़े का निर्माण, जैविक उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग, मृदा परीक्षण, जैविक प्रमाणीकरण, तथा महिला किसानों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के लिए भ्रमण और प्रशिक्षण के लिए इनपुट सहायता प्रदान करना है।

(i v) पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के लाभों तक पहुंच के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें गरीब भूमिहीन किसानों, विधवाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को दुधारू पशु उपलब्ध कराना, छोटे जुगाली करने वाले पशुओं और मुर्गीपालन की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करना, गांव और घरेलू स्तर पर सूक्ष्म स्तर के बुनियादी ढांचे का विकास करना, मत्स्यपालन किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना और कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता को बढ़ावा देना शामिल है।